

संख्या/No : 13/1/2021/उ.नि.(टं./आ.)/ 2367-2466

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
हिंदी शिक्षण योजना हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण
HINDI TEACHING SCHEME, HINDI TYPING/STENOGRAPHY TRAINING

पूर्वी खंड/East Block-7, लेवल/Level-6,

आर.के. पुरम/R.K. Puram,

नई दिल्ली/New Delhi-110066

दिनांक/Dated 15.11.2022

सेवा में,

सभी संपर्क अधिकारी (हिंदी)

निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/प्रबंधक(राजभाषा), प्रशासनिक अधिकारी,

सभी मंत्रालय/विभाग/संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम/निगम, निकाय तथा राष्ट्रीयकृत बैंक इत्यादि नई दिल्ली।

विषय : हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि दीर्घकालिक ऑफलाइन प्रशिक्षण - सत्र
फरवरी, 2023

महोदय/महोदया,

कोविड महामारीजनित परिस्थिति में सुधार को देखते हुए हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण का आगामी सत्र फरवरी, 2023 से दिल्ली स्थित विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों (अनुलग्नक "क") पर ऑफलाइन संचालित किया जाएगा।

प्रशिक्षार्थियों का कक्षाओं में प्रवेश दिनांक 13-14 फरवरी, 2023 (प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे) को होगा। "प्रवेश पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर होगा। नियमित कक्षाएं 17 फरवरी, 2023 से आरंभ होंगी। कृपया उपरोक्त पाठ्यक्रमों के लिए पात्र कर्मिकों का नामांकन निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक "ख") में इस कार्यालय को सूचना देते हुए 31 जनवरी, 2023 तक सीधे प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी को भेजना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षार्थियों की कक्षा में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधान का होगा। हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:-

हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

पाठ्यक्रम का नाम	हिंदी आशुलिपि
अवधि	फरवरी, 2023 से जनवरी, 2024 तक, प्रतिदिन 01 घंटा
परीक्षा	जनवरी, 2024 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में
हिंदी में योग्यता	हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ
पात्रता	केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है।
अनिवार्य	: सभी वर्गों के अंग्रेजी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों तथा निजी सचिवों हेतु।
स्वैच्छिक	: हिंदी टंकण जानने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/कनि.सचिवालय सहायकों/टंककों को भी कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है बशर्ते संबंधित विभाग/कार्यालय यह प्रमाणित करे कि उस कर्मचारी की हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किया जाएगा। परंतु ये कर्मचारी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी प्रकार के वित्तीय लाभ/प्रोत्साहन के हकदार नहीं होंगे।

Final

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

पाठ्यक्रम का नाम	हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण
अवधि	फरवरी, 2023 से जुलाई, 2023 तक, प्रतिदिन 01 घंटा
परीक्षा	जुलाई, 2023 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में
हिंदी में योग्यता	हिंदी के साथ आठवीं या उसके समकक्ष कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण
पात्रता :केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।	
अनिवार्य :	
सभी अंग्रेजी टंककों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/ अवर श्रेणी लिपिकों, डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूरसंचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों आदि के लिए, इसके अलावा इसमें ग्रुप 'ग' के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं।	
स्वैच्छिक	
1. वर्तमान में सहायकों/सहायक अनुभाग अधिकारियों, उच्च (प्रवर) श्रेणी लिपिकों/वरिष्ठ सचिवालय सहायकों तथा हिंदी अनुवादकों/कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों/वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, अतः इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर प्रवेश दिया जा सकता है। ये कर्मचारी हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि। (देखें का.जा.संख्या 12016/2/78-रा.भा.(डी), दिनांक 10.01.1979)	
2. सभी वर्ग के अन्य अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकता है, किंतु वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नगद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार आदि	

वित्तीय प्रोत्साहन

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 26 जुलाई, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/08/2017-रा.भा(प्रशि.) के अनुसार अराजपत्रित अंग्रेजी आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि परीक्षा में 70% अंक तथा राजपत्रित अंग्रेजी आशुलिपिक 75% अंक प्राप्त करने पर ही वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे।
- जिन अंग्रेजी आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है उन्हें निर्धारित शर्तें पूरी करने पर हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर दो वेतन-वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण कक्षा में जाने लिए 1.6 किमी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग व्यय देय है।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी अधोलिखित तालिका के अनुसार नगद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे। वैयक्तिक वेतन/नकद पुरस्कार आदि का भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है:-

हिंदी आशुलिपि

1.	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 2400
2.	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 1600
3.	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	₹ 2400/-
2	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 1600/-
3	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	₹ 800/-

परीक्षा शुल्क :

यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निःशुल्क है, किंतु केंद्र सरकार के निगमों/निकायों/उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए प्रति कर्मचारी ₹100/- की दर से परीक्षा शुल्क देय है। शुल्क का भुगतान ड्राफ्ट द्वारा या अनुलग्नक "ग" पर उल्लिखित विधि के अनुसार "उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली/ Deputy Director (Exam.), Hindi Teaching Scheme, New Delhi" को ऑनलाइन किया जा सकता है।

नामांकन विधि

- उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विवरण निर्धारित नामांकन प्रपत्र (अनुलग्नक "ग" में दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक सीधे संबंधित प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही भेजा जाए। नामित करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का पूरा पता, टेलीफोन नंबर तथा ई-मेल आई डी का पत्र में स्पष्ट उल्लेख अवश्य किया जाए ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या भी अनुलग्नक ("घ") में अवश्य दर्शाई जाए।
- प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को प्रवेश लेने हेतु अलग से कोई पुष्टि पत्र नहीं भेजा जाएगा। संबंधित प्रभारी सहायक निदेशक (टंकण/आशुलिपि) द्वारा प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को दाखिला देने की लिखित सूचना दी जाएगी, जिसे संबंधित कर्मचारी अपने कार्यालय में सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे ताकि संबंधित कार्यालय द्वारा प्रवेश न लेने वाले कर्मचारी के संबंध में यथोचित कार्रवाई समय पर की जा सके।

विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

भवदीय,

(जयबीर)

उप निदेशक (टंकण/आ.)

Chti1044

पृष्ठांकन संख्या 13/1/2021-उ.नि.(टं/आ)/ 2367-2466

दिनांक : 05/12/22

प्रतिलिपि सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.
2. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के निजी सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.
3. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली.
4. संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड, नई दिल्ली.
5. निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली.
6. सतर्कता आयोग, नई दिल्ली.
7. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली.
8. राज्यसभा/लोक सभा सचिवालय।
9. निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, पश्चिमी खंड-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली.
10. निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, नई दिल्ली.
11. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली.
12. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, अंत्योदय भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली.
13. निदेशक (नीति एवं समन्वय), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.
14. उप सचिव (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.
15. सचिव, बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली.
16. निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली.
17. संयुक्त निदेशक (टंकण/आशुलिपि)/उप निदेशक (टंकण/आशु.), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली.
18. संयुक्त निदेशक (भाषा), हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), नई दिल्ली.
19. उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया परीक्षा की व्यवस्था करें।
20. सभी उप निदेशक (मध्योत्तर/पूर्वोत्तर/दक्षिण/पश्चिम/पूर्व/टं.आ.) हिंदी शिक्षण योजना।
21. उप निदेशक (टंकण/आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना, कोलकाता.
22. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली.
23. सहायक निदेशक (टं.आ.), हिंदी शिक्षण योजना, प्रशिक्षण केंद्र
24. सहायक निदेशक (टं.आशु), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक एवं वेबसाइट अपडेट नोडल अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, अंत्योदय भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली.



(जयबीर)

उप निदेशक (टं.आ.)

Chti1044

नई दिल्ली प्रशिक्षण केंद्रों की सूची

क्र.सं.	प्रशिक्षण केंद्रों का नाम व पता	सहायक निदेशक का नाम व दूरभाष	कार्यालय/भवन जहां के कर्मचारियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी	प्रशिक्षण का माध्यम
1.	रामकृष्ण पुरम ईस्ट ब्लॉक-2, लेवल-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066	श्री चरणजीत वर्मा दूरभाष 26186035 Chti1056@nic.in	रामकृष्णपुरम और आसपास स्थित सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
2.	रामकृष्णपुरम ईस्ट ब्लॉक-7, लेवल-6 नई दिल्ली-110066	श्रीमती विनीता तिवारी दूरभाष 26175246 मो. 8368432321 Chti1071-dol@nic.in	रामकृष्णपुरम और आसपास स्थित सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
3.	डाक भवन कमरा नं. 109-बी, प्रथम तल, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	श्री बाबू राम वोहरा दूरभाष 23036516 Chti1052@nic.in	डाक भवन, पटेल भवन, निर्वाचन सदन, संचार भवन, कर्नाट प्लेस, संसद मार्ग तथा आसपास के सभी कार्यालय बैंक आदि	कंप्यूटर पर
4.*	नीति आयोग कमरा नं. 427-सी, संसद मार्ग, नीति आयोग, नई दिल्ली	श्री विभूति शरण सिन्हा दूरभाष 9910213246 Chti1053@nic.in	नीति आयोग, आकाशवाणी, रिजर्व बैंक, श्रम शक्ति भवन, परिवहन भवन, संसद मार्ग तथा आसपास के सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर ऑन-लाइन
5.*	रेल भवन कमरा नं. 564 जे रेल भवन, नई दिल्ली	श्रीमती विनीता तिवारी दूरभाष 23215045 मो. 8368432321 Chti1071-dol@nic.in	रेल भवन, नॉर्थ ब्लॉक, कृषि भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन, श्रम शक्ति भवन तथा आसपास के कार्यालय	कंप्यूटर पर ऑन-लाइन
6.	निर्माण भवन कमरा नं. 203, दूसरा तल, एफ विंग, नई दिल्ली	श्री विभूति शरण सिन्हा दूरभाष 9910213246 Chti1053@nic.in	निर्माण भवन, उद्योग भवन, वायु भवन, सेना भवन, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, विदेश मंत्रालय तथा आसपास के सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
7.	संघ लोक सेवा आयोग अतिथिगृह भवन, भूतल, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069	श्री महेन्द्र कुमार दूर. 23098591/4711 Chti1061@nic.in	संघ लोक सेवा आयोग, लोक नायक भवन, अकबर रोड हटमेंट्स, जामनगर हाउस, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, आई.टी.ओ. तथा आसपास के सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर

*टिप्पणी: क्र.सं. 4 व 5 पर वर्णित प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण कक्षाएं ऑन-लाइन चलाई जाएंगी।

हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर) के अंतर्गत नई दिल्ली से बाहर के प्रशिक्षण केंद्रों की सूची

क्र.सं.	प्रशिक्षण केंद्रों का नाम व पता	सहायक निदेशक का नाम व दूरभाष	प्रशिक्षण का माध्यम
1.	हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र, हिंदी शिक्षण योजना, 1005 नव आदर्श कॉलोनी, एम.आर.4 रोड, जबलपुर (मप्र) 482001	श्री घनश्याम नामदेव दूरभाष 09703239649 chti1065@nic.in	कंप्यूटर पर
2.	हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र, हिंदी शिक्षण योजना, सी.क्यू.ए.(जीएस), छावनी अस्पताल के सामने, मीरपुर कैट, कानपुर 208004	श्री यशवंत माठे दूरभाष 09039058140 chti1066@nic.in	कंप्यूटर पर
3.	हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र, हिंदी शिक्षण योजना, 5वां तल, केंद्रीय सदन, सेक्टर 9ए, चंडीगढ़ 160009	श्री अरविंद कुमार दूरभाष 09445916010 chti1069@gov.in	कंप्यूटर पर
4.	हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र, हिंदी शिक्षण योजना, सेक्टर 06, बाबलियाना रोड, दुर्गा मंदिर के पास, गंग्याल जम्मू 180010	श्री संतोष कुमार दूरभाष 08962655337 chti1072-dol@nic.in	कंप्यूटर पर

अनुलग्नक "ख"
नामांकन प्रपत्र

हिंदी शिक्षण योजना
हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण
प्रशिक्षण सत्र जनवरी-जुलाई/अगस्त-जनवरी
परीक्षार्थी की स्थिति : नियमित/प्राइवेट

क्र.सं.	प्रशिक्षार्थी का विवरण (हिंदी में)	Details of Scholars (In English Capital Letters)
1.	प्रशिक्षार्थी का नाम :	Name of candidate :
2.	लिंग (स्त्री/पुरुष) :	Gender (F/M) :
3.	पिता/पति का नाम :	Name of Father's/Husband's :
4.	प्रशिक्षार्थी का पदनाम :	Designation of trainee :
5.	मातृभाषा :	Mother tongue :
6.	हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर स्नातकोत्तर / स्नातक / इंटरमीडिएट / दसवीं/ आठवीं / पांचवीं / प्रबोध / प्रवीण / प्राज्ञ	Knowledge of Hindi : Post Graduate / Graduate / Intermediate/ Tenth/ Eighth / Fifth / Prabodh / Praveen / Pragya
7.	मंत्रालय :	Name of Ministry :
8.	विभाग का नाम :	Name of Department :
9.	कार्यालय का पूरा पता एवं दूरभाष :	Full office address with phone number :
10.	नामित करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, ईमेल :	Name, Designation & Email of the Nominating Officer :
11.	ई-मेल आईडी (कार्यालय अथवा निजी) :	E-mail ID (Official or personnel):
12.	दूरभाष/मोबाइल :	Tel./Mobile :
13.	आधार संख्या :	Aadhar No.
14.	परीक्षा शुल्क विवरण :	Exam Fee Details : Amount Draft No. & Date Name of Branch

प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर

नामित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर (मोहर सहित)

ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टैप्स

स्टेप-1



सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट www.onlinesbi.com ओपन करें, फिर **STATE BANK COLLECT** उप-शीर्षक पर जाएँ।

अथवा

भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट www.onlinesbi.com के मुख्य शीर्षक **STATE BANK OF INDIA** पर क्लिक करें, फिर **STATE BANK COLLECT** नामक उप-शीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करें।

स्टेप-2



STATE OF CORPORATE/INSTITUTION में **ALL INDIA** का चयन करें, उसके बाद **TYPE OF CORPORATE/INSTITUTION** में **GOVERNMENT DEPARTMENT** चुनें एवं **GO** पर क्लिक करें।

स्टेप-3



GOVERNMENT DEPARTMENT का नाम वाले कॉलम के पुल-डाउन मेन्यू से **HINDI TEACHING SCHEME, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE MHA** का चयन करें।

स्टेप-4



SELECT PAYMENT CATEGORY में **HINDI TEACHING SCHEME** को चुनें, अब एक फॉर्म खुल जाएगा।

स्टेप-5



फॉर्म को भरने के बाद **SUBMIT** करें, फिर अपने भरे हुए विवरण को **CONFIRM** करके **PAYMENT** करें।

स्टेप-6



PAYMENT करने के बाद **RECEIPT** के प्रिंट की प्रति उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, लेवल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066 को भेजना अनिवार्य है।

अनुलग्नक "घ"

31-01-2023 को हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष
कर्मचारियों की संख्या

(कृपया इसे अनिवार्य रूप से भरें)

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण	हिंदी आशुलिपि

अधिकारी का नाम.....

कार्यालय का नाम व पूरा पता

दूरभाष

ई-मेल आई-डी